सन २०२४-२५ मध्ये राज्यस्तरीय महालक्ष्मी सरस प्रदर्शन तसेच विभागस्तरीय व जिल्हास्तरीय विक्री प्रदर्शने आयोजित करण्यासाठी निधीचे वितरण करण्याबाबत.

महाराष्ट्र शासन ग्राम विकास विभाग

शासन निर्णय क्रमांकः सरस-२०२४/प्र.क्र.४६/योजना-१

बांधकाम भवन, तळमजला २५, मर्झबान पथ, फोर्ट, मुंबई-४०० ००१ दिनांक : ०२.०१.२०२५

वाचा -

१)शासन निर्णय,ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग क्रमांक : पणन२००८/प्र.क्र. ७३८/योजना-१,

दिनांक: २७ फेब्रुवारी, २००९

२)शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक: संकीर्ण २०२३/प्र.क्र.११०/२०२३/कोषा प्रशा-५,

दिनांक: १४ फेब्रुवारी, २०२४

शासन निर्णय-

शासन निर्णय, ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, क्रमांक: पणन-२००८/प्र.क्र.७३८/योजना-१, दिनांक २७ फेब्रुवारी, २००९ अन्वये महालक्ष्मी सरस प्रदर्शनाच्या धर्तीवर स्वयंसहाय्यता महिला बचत गटाच्या उत्पादित मालाची विक्री व प्रदर्शनासाठी विभागीय व जिल्हास्तरीय विक्री प्रदर्शने आयोजित करण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. त्यानुसार विभागस्तरीय प्रदर्शनाकरीता प्रत्येकी रु. २५.०० लक्ष व जिल्हास्तरीय प्रदर्शनाकरीता प्रत्येकी रु. १०.०० लक्ष, त्याचप्रमाणे राज्यस्तरावर दरवर्षी आयोजित करण्यात येणाऱ्या महालक्ष्मी सरस प्रदर्शनासाठी रु.५०.०० लक्ष इतके अर्थसहाय्य देण्याचा निर्णय घेण्यात आलेला आहे. या सर्व प्रदर्शनाकरीता प्रतिवर्षी रू.५४०.०० लक्ष इतक्या निधीची आवश्यकता असते. सदर योजनेसाठी सन २०२४-२५ मध्ये आवश्यक निधी अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेला आहे.

२. नियोजन विभाग व वित्त विभागाने समक्रमांकाच्या नस्तीवर दिलेल्या अभिप्रायास अनुसरुन सोबतच्या विवरण पत्र "अ" मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे सन २०२४-२५ या आर्थिक वर्षात राज्यात विभागीय प्रदर्शने, जिल्हास्तरीय प्रदर्शने भरविण्याकरीता संबधित विभागीय आयुक्त व जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा यांना तसेच राज्यस्तरावर महालक्ष्मी सरस प्रदर्शने भरविण्याकरीता महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, नवी मुंबई यांना ""२५०१ ग्रामविकासासाठी विशेष कार्यक्रम, ०६, स्वयंरोजगार कार्यक्रम, १०१, सुवर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, (०१) (०४) प्रदर्शने भरवणे व कायमस्वरूपी विक्री केंद्र बांधणे (कार्यक्रम) (२५०१ १९९३) ३१ सहाय्यक

अनुदाने (वेतनेतर)" या उप लेखाशिर्षांतर्गत रू. ५३८.०० लक्ष इतका निधी वितरीत करण्यास परवानगी देण्यात येत आहे.

- ३. राज्यस्तरीय महालक्ष्मी सरस प्रदर्शन आयोजनासाठी असलेल्या रकमा मुख्य कार्यकारी अधिकारी, महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान, नवी मुंबई यांचेकडे तसेच विभागीय विक्री प्रदर्शन व जिल्हा विक्री प्रदर्शनांसाठी असलेल्या रक्कमा अनुक्रमे संबंधित उपायुक्त (आस्थापना), विभागीय आयुक्त कार्यालय व संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद यांचेकडे आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून सुपूर्व करण्यात येत आहेत.
- ४. सदरचा खर्च सोबतच्या विवरण पत्रात स्वतंत्रपणे दर्शविल्यानुसार मागणी क्रमांक एल-३, "२५०१ ग्रामविकासासाठी विशेष कार्यक्रम, ०६, स्वयंरोजगार कार्यक्रम, १०१, सुवर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, (०१) (०४) प्रदर्शने भरवणे व कायमस्वरूपी विक्री केंद्र बांधणे (कार्यक्रम) (२५०१ १९९३) ३१ सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर)" या लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकावा सन २०२४-२५ च्या मंजूर अर्थसंकल्पीय तरतूदीतून भागविण्यात यावा.
- ५. विभागीय व जिल्हास्तरीय प्रदर्शने ग्राम विकास विभागाव्यतिरिक्त इतर विभागाच्या प्रदर्शनांसोबत संयुक्तिरत्या आयोजित करण्यात येवू नये. हे अनुदान ज्या प्रयोजनाकरीता मंजूर करण्यात आलेले आहे, त्याच प्रयोजनाकरीता खर्च करण्यात यावे अन्यथा ही वित्तीय अनियमितता समजण्यात येईल याची अंमलबजावणी करणाऱ्या अधिकाऱ्यांनी नोंद घ्यावी. तसेच संदर्भाधिन दिनांक २७ फेब्रुवारी, २००९ तसेच दिनांक १४ फेब्रुवारी, २०२४ च्या शासन निर्णयातील तसेच वित्त विभाग, शासन परिपत्रक, दिनांक २५जुलै,२०२४ मधील कार्यपध्दतीचे पालन करण्याबाबत दक्षता घ्यावी.
- ६. या शासन निर्णयान्वये मंजूर केलेल्या अनुदानाबाबत प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा यांनी उपयोगिता प्रमाणपत्र योजना-१ कार्यासनास सादर करावे. तसेच (१) मंजूर केलेली रक्कम, (२) कोषागारातून काढलेली रक्कम, (३) रक्कम काढल्याचा प्रमाणक क्रमांक व दिनांक ही माहिती त्वरीत लेखाधिकारी, कार्यासन योजना-२, ग्राम विकास विभाग यांचेकडे पाठवावी.
- ७. सदर शासन निर्णय वित्त विभाग, शासन निर्णय क्रमांक विअप्र- २०१३/प्र.क्र.३०/ २०१३/विनियम भाग-२, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ अन्वये तसेच वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका- १९७८ भाग-एक, उप

विभाग - तीन अनुक्रमांक चार परिच्छेद क्रमांक २७(२) अन्वये प्रदान करण्यात आलेल्या वित्तीय प्राधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे.

८. सदरचा शासन निर्णय वित्त विभागाच्या सहमतीने व त्यांच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.५६१/२०२४/व्यय-१५, दि.२०.०८.२०२४ नुसार निर्गमित करण्यात येत आहे.

सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या <u>www.maharashtra.gov.in</u> या संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२५०१०२१३२७५२३५२० असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे.

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने.

(सुभाष इंगळे) उप सचिव, महाराष्ट्र शासन.

प्रत,

- १. महालेखापाल (ले. व अ.) (ले.प.), महाराष्ट्र -१ मुंबई/ महाराष्ट्र -२ नागपूर.
- २. संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई.
- ३. अधिदान व लेखा अधिकारी मुंबई
- ४. जिल्हा कोषागार अधिकारी/उप कोषागार अधिकारी, (सर्व)
- ५.मुख्य कार्यकारी अधिकारी,महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जिवनोन्नती अभियान
- ६. विभागीय आयुक्त, (सर्व)
- ७. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा पिरषद तथा अध्यक्ष जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा,
- ८. प्रकल्प संचालक, जिल्हा ग्रामीण विकास यंत्रणा, (सर्व)
- ९. कक्ष अधिकारी, ग्राम विकास विभाग/ वित्त-१
- १०. अवर सचिव, ग्राम विकास विभाग/योजना-२
- ११. निवड नस्ती (योजना-१)

विवरणपत्र "अ"

मागणी क्रमांक एल-३, २५०१-ग्रामीण विकासासाठी विशेष कार्यक्रम, १०१-स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना (०१) (०४) प्रदर्शने भरवणे व कायमस्वरुपी विक्री केंद्र बांधणे (२५०१ १९९३) ३१-(सहायक अनुदाने)" सन २०२४-२५ मध्ये वितरीत करावयाचे अनुदानाचे विवरण पत्र

| अ.क्र. | विभाग / जिल्हा | मागणी क्रमांक एल-३, २५०१-ग्रामीण विकासासाठी विशेष कार्यक्रम, १०१-स्वर्ण जयंती ग्राम | | | | | | |
|--------|---|---|--------------------------------------|-------------------------------|---------------------------------|---|--|--|
| | | स्वरोजगार योजना (०९) (०४) प्रदर्शने भरवणे व कायमस्वरुपी विक्री केंद्र बांधणे (२५०१ १९९३) ३१,सहायक अनुदाने (वेतनेतर)" | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | राज्यस्तरीय महालक्ष्मी | विभागस्तरीय विक्री प्रदर्शनाकरीता | जिल्हास्तरीय विक्री | मंजूर तरतूदीपैकी | शेरा | | |
| | | सरस मंजूर तरतूद | मंजूर तरतूद | प्रदर्शनाकरीता मंजूर तरतूद | वितरीत करावयाचा एकूण निधी | | | |
| | | | | | २०२४-२५ | | | |
| 9 | 3 | 3 | 8 | Ч | ξ | (9 | | |
| 9 | उमेद-महाराष्ट्र राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान | 40.00 | 00,00 | 00.00 | 40.00 | | | |
| | | विभागस्त | रीय प्रदर्शने | | | | | |
| 9 | कोंकण विभाग | 00.00 | २५.०० | 00.00 | २५.०० | | | |
| 2 | नाशिक विभाग | 00.00 | २५.०० | 00.00 | २५.०० | | | |
| 3 | पुणे विभाग | 00.00 | २५.०० | 00.00 | २५.०० | | | |
| 8 | छ.संभाजी नगर | 00.00 | २५.०० | 00.00 | २५.०० | | | |
| 4 | अमरावती विभाग | 00.00 | २५.०० | 00.00 | २५.०० | | | |
| ξ | नागपूर विभाग | 00.00 | २५.०० | 00.00 | २५.०० | | | |
| | 1 | जिल्हास्त | रीय प्रदर्शने | | | | | |
| 9 | ठाणे | 00.00 | 00.00 | १०.०० | १०.०० | | | |
| 2 | पालघर | 00.00 | 00.00 | १०.०० | १०.०० | | | |
| 3 | रायगड | 00.00 | 00.00 | १०.०० | १०.०० | | | |
| 8 | रत्नागिरी | 00.00 | 00.00 | १०.०० | १०.०० | | | |
| 4 | सिंधुदुर्ग | 00.00 | 00.00 | १०.०० | १०.०० | | | |
| ξ | नाशिक | 00.00 | 00.00 | १०.०० | १०.०० | | | |
| (9 | नंदुरबार | 00.00 | 00.00 | १०.०० | १०.०० | | | |
| ۷ | धुळे | 00.00 | 00.00 | १०.०० | १४.०० | (२०२३-२४ चा उर्वरीत निधी ४.००) + (२४-२५ एकुण निधी १०.००) | | |
| 9 | जळगांव | 00.00 | 00.00 | १०.०० | १०.०० | | | |
| 90 | अहमदनगर | 00.00 | 00.00 | १०.०० | १०.०० | | | |
| 99 | पुणे | 00.00 | 00.00 | १०.०० | १०.०० | | | |
| 9२ | सातारा | 00.00 | 00.00 | १०.०० | १०.०० | | | |
| 93 | सांगली | 00.00 | 00.00 | १०.०० | १०.०० | | | |
| 98 | सोलापूर | 00.00 | 00.00 | १०.०० | १०.०० | | | |
| 94 | कोल्हापूर | 00.00 | 00.00 | १०.०० | १०.०० | | | |
| 9६ | औरंगाबाद | 00.00 | 00.00 | १०.०० | १०.०० | | | |
| 90 | जालना | 00.00 | 00.00 | १०.०० | १०.०० | | | |

शासन निर्णय क्रमांकः **सरस-२०२४/प्र.क्र.४६/योजना-१**

| १८ | परभणी | 00.00 | 00,00 | १०.०० | १०.०० | |
|------------|----------|-------|--------|--------|--------|--|
| १९ | हिंगोली | 00.00 | 00.00 | १०.०० | १०.०० | |
| २० | बीड | 00.00 | 00.00 | १०.०० | १०.०० | |
| २१ | नांदेड | 00.00 | 00.00 | १०.०० | १०.०० | |
| २२ | धाराशीव | 00.00 | 00.00 | १०.०० | १०.०० | |
| २३ | लातूर | 00.00 | 00.00 | १०.०० | १०.०० | |
| २४ | अमरावती | 00.00 | 00.00 | १०.०० | १०.०० | |
| २५ | वाशिम | 00.00 | 00.00 | १०.०० | १०.०० | |
| २६ | अकोला | 00.00 | 00.00 | १०.०० | १०.०० | |
| २७ | बुलढाणा | 00.00 | 00,00 | १०.०० | १०.०० | |
| २८ | यवतमाळ | 00.00 | 00,00 | १०.०० | १०.०० | |
| 29 | नागपूर | 00.00 | 00,00 | १०.०० | १०.०० | |
| ३० | वर्धा | 00.00 | 00,00 | १०.०० | १०.०० | |
| ३ १ | भंडारा | 00.00 | 00,00 | १०.०० | 8.00 | |
| ३ २ | गोंदिया | 00.00 | 00,00 | १०.०० | १०.०० | |
| 33 | चंद्रपूर | 00.00 | 00.00 | १०.०० | १०.०० | |
| 38 | गडिचरोली | 00.00 | 00.00 | १०.०० | १०.०० | |
| | एकूण | ५०.०० | १५०.०० | ३४०.०० | ५३८.०० | |